

अवैध शराब तस्कर/सरगना की हत्या में 02 वर्षों से लगातार फरार 50000/- का ईनामी बदमाश गिरफ्तार व 01 तंमचा 315 बोरे , 05 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद:-
एसटीएफ फील्ड यूनिट नोएडा व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.08.2019 को अवैध शराब तस्कर/सरगना की हत्या में 02 वर्षों से लगातार फरार 50000/- का ईनामी अभियुक्त को खजूरी पार्क पार्क के पास समय करीब 15.50 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 तंमचा 315 बोरे ,05 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद करने में सफलता प्राप्त की हैं।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

1. धर्मराज उर्फ सुरेन्द्र पुत्र दयानन्द उर्फ दयाचन्द्र नि० म०न० 4ए शान्ति नगर नियर थाना माडल टाउन पानीपत हरियाणा।

अभियुक्तों का अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त ने गहन पूछताछ के दौरान बताया कि शराब व्यवसायी विनोद सिंह की हत्या के सम्बन्ध में थाना सरोजनीनगर लखनऊ में मु०अ०सं० 451/17 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें गिरफ्तार से बचने के लिये जगह में स्थान बदल-बदल कर रह रहा था तथा अवैध शराब का कारोबार कर रहा था, आज भी अवैध शराब की डीलिंग करने हेतु खजूरी पार्क में आया था। अभियुक्त शातिर किस्त का अपराधी है जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है।

जुआ खेलते 06 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार व 15300 रू० व 52 पत्ते तास के

बरामद:- थाना मुरादनगर पुलिस को दिनांक 29.08.019 को मुखविर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मनु पुत्र अमर सिंह नि० ग्राम मनौटा थाना क्षेत्र मुरादनगर के मकान में अन्दर 5-6 व्यक्ति हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं और मकान मालिक मनु अपने घर में जुआ खिलाने की फीस ले रहा है। मौके पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर मनु के मकान की खाना तलाशी लेने की प्रभारी द्वारा अनुमति प्राप्त की गई। तदोपरान्त मकान की खाना तलाशी ली गई तो मकान के अन्दर एक कमरे में

1- मनु पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम मनौटा थाना मुरादनगर गा0बाद, 2- सहदेव पुत्र जयपाल सिंह नि0 मौ0 धर्मपुरी कस्वा व थाना मोदीनगर गा0बाद, 3- जितेन्द्र कुमार पुत्र राजपाल सिंह नि0 टंकीरोड, ब्रहमपुरी कस्वा व थाना मुरादनगर गा0बाद, 4- गौरव कुमार पुत्र नरेश कुमार, 5- रणधीर पुत्र नरेश कुमार नि0 गण ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद, 6- पुष्पेन्द्र पुत्र रामकिशन नि0 मौ0 सुभाष मण्डी कस्वा व थाना मुरादनगर गा0बाद तास के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते पाये गये। मनु द्वारा अपने मकान को सामान्य रूप से जुआ घर में प्रयोग में लाया जाना एवं अपने लाभ हेतु जुआ खेलने वालों से कमीशन के रूप में धन राशि प्राप्त करना पाया गया। जुआ घर से तलाशी के दौरान फड से 15300 रु0 व 52 तास के पत्ते व 5 मोबाइल फोन बरामद हुए, अभि0गण उपरोक्तको दिनांक 29/08/019 को समय करीब 17.05 बजे ग्राम मनौटा NH-58 से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 773/019 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अभि0गण को जेल भेजा जा रहा है। मौके से एक स्कूटी व एक मो0सा0 अपाचे भी बरामद हुई है जिन्हे MV.ACT में सीज किया गया है।

पूँछताँछ का विवरण- अभि0गणों से पूँछताँछ की गयी तो बताया कि मनु अपने मकान में लगभग 1 माह से जुआ खिला रहा है जिसका वह हम लोगो से 200 रु0 प्रति घण्टे का कमीशन लेता था।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

- 1- सहदेव पुत्र जयपाल सिंह नि0 मौ0 धर्मपुरी कस्वा व थाना मोदीनगर गा0बाद,
- 2- जितेन्द्र कुमार पुत्र राजपाल सिंह नि0 टंकीरोड, ब्रहमपुरी कस्वा व थाना मुरादनगर गा0बाद
- 3- गौरव कुमार पुत्र नरेश कुमार नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद
- 4- रणधीर पुत्र नरेश कुमार नि0 ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गा0बाद,
- 5- पुष्पेन्द्र पुत्र रामकिशन नि0 मौ0 सुभाष मण्डी कस्वा व थाना मुरादनगर गा0बाद
- 6- मनु पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम मनौटा थाना मुरादनगर गा0बाद।

लूटेरे गैंग का सरगना/गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त संदीप वर्मा

गिरफ्तार:- थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.08.19 को गैंगस्टर एक्ट में फरार चले रहे एक शातिर अभियुक्त को मैट्रो स्टेशन वैशाली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता निम्न प्रकार है:-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1:- संदीप वर्मा पुत्र राजपाल वर्मा निवासी म0न0-241 गली न0-1 गांव जीतपुर रावली रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

गैंग का अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण एक शातिर लूटपाट करने वाले गैंग का सरगना है जो कि पेषे से मुरादनगर मे सुनार का काम करता है जो प्रायोजित तरीके से लूटपाट/स्नैचिंग करवाता हैं तथा लूटपाट करने वाले अपराधियों का गैंग बनाकर उनको संसाधन मुहैया कराकर लूटपाट करने के लिए एनसीआर क्षेत्र में भेजता है तथा लूटे गये सामान को अपने पास मंगवा लेता है तथा उन लोगों को लूटे गये समान के बदले में उनको खर्चा पानी के नाम पर कुछ रुपये दे देता हैं। अगर लूटपाट के दौरान सोना/चांदी/हीरा आदि का सामान मिलता है तो उक्त शातिर अभियुक्त अपनी दुकान पर लूटे गये सामान को गलाकर नया आभूषण तैयार कर बेच देता है इसी क्रम में दिनांक 15.05.19 को चैकिंग के दौरान वैषाली क्षेत्र से दो शातिर लूटेरों किषोर व मुन्ना निवासी मुरादनगर गाजियाबाद को मय माल व एफजेड मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त लूटेरों से पूछताछ के दौरान पता चला था कि मुरादनगर निवासी संदीप वर्मा नाम का व्यक्ति जो कि मुरादनगर में ही सुनार का काम करता है हम लोगों को लूटपाट करने के लिए मोटर साईकिल व अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर लूटपाट करने के लिए भेजता है तथा हमारे द्वारा लूटे गये सामान को उसके द्वारा ही खपाया जाता है। इसी क्रम में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त एफजेड मोटर साइकिल भी संदीप वर्मा की पत्नी के नाम से पंजीकृत थी। पूर्व में अभियुक्त संदीप वर्मा की गिरफ्तारी के दौरान लूटी गयी एक सोने की चैन भी बरामद हुई थी अभियुक्त संदीप द्वारा पूर्व में जनपद गाजियाबाद में कई घटनाओं को अपने साथियों द्वारा कारित कराने व माल खपाने के जुर्म का इकबाल किया गया था।

अभियुक्तका अपराधिक इतिहास

क्र०स०	अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	766 / 19	392 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
2	817 / 19	392 / 411 / 120बी भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
3	983 / 19	392 / 411 / 120बी भादवि	इंदिरापुरम	गाजियाबाद
4	1433 / 19	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

दिनांक 23.08.2019 को प्रहलाद क्षेत्र से अचानक एक साथ गायब हुई 04

लडकियां मात्र 05 दिन में सकुशल बरामदः—

चौकी क्षेत्र प्रहलाद गढी से दिनांक 23.08.2019 को अचानक सनसनीखेज तरीके से 04 लडकियागुम हो गयी थी, प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना इंदिरापुरम पर अ0स0-1856/19 धारा 365 भादवि पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम के नेतृत्व में चौकी प्रभारी प्रहलाद गढी व थाना इंदिरापुरम की एसओजी टीम को उक्त घटना का सफल अनावरण हेतु लगाया गया था। उक्त टीम द्वारा तत्परता से कड़ी मेहनत व लगन से कार्यवाही करते हुए सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्वीटर, व्हाटसअप, सर्वािलांस) व अन्य माध्यमों से व आपसपास के जनपदों के भीड़ भाड़ वाले इलाके, माल एवं औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार कराकर कड़ी मेहनत के बाद दिनांक 29.08.19 को मोहननगर गाजियाबाद से गुमशुदा/अपहर्ता 04 लडकियों को सकुशल बरामद किया गया।

बरामद लडकियों से पूछताछ व जानकारी की गयी तो बताया कि हम लोग एक साथ डांस सीखते थे उसी दौरान टिक-टोक पर वीडियो बनाने का शौक हुआ तथा अपने डांस व गाने की वीडियो क्लिप बनाकर यू-ट्यूब व सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को प्रसिद्ध करके टेलीफिल्मों व टीवी सीरियलों में काम करने के उद्देश्य से घर से भागने का प्लान बनाया और दिनांक 23.08.19 को घर से भागकरकाम की तलाश में आसपास के जनपदों में घूम रहे थे। आज भी हम लोग किसी कार्य से मोहननगर आये थे कि तभी अचानक आप लोगों ने पकड़ लिया।

बरामद लडकियो के नाम पते—

1. 03 नाबालिक व 01 बालिक लडकियां बरामद

नोटः—उपरोक्त सनसनीखेज घटना की अल्पसमय में अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद पुरुकृत करने की घोषणा की गयी हैं। पुलिस द्वारा किये गये उक्त कार्य ही स्थानीय जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी हैं।

48 पच्वा अंग्रेजी शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.19 को समय 11.50 बजे शुक्र बाजार रोड भोवापुर से अभियुक्त विजय पुत्र सूरजभान निवासी वैशाली सीवर पंप के पास सै0-1 थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिनके कब्जे से 48 पच्वा अवैध शराब अंग्रेजी बरामद हुई है |

चोरी की इको कार सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना मसूरी पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.19 को समय 16.30 बजे चित्तोड़ा गंग नहर पुल के पास से अभियुक्त मौ0 उमर पुत्र मौ0 यासीन निवासी मौ 0 चौधारियांन ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है | जिसके कब्जे से 01 इको कार न0 DL5CK3843 सम्बंधित E-FIR न0 005971 /19 धारा 379 भादवि थान क्राइम ब्रांच दिल्ली बरामद हुई है |

01 कुन्तल गौ माँस सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :- थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 29.08.19 को समय 22.05 बजे धन्नुरम कट के पास से अभियुक्तगण 1. आरिफ पुत्र इस्लामुधीन निवासी टोली मौहल्ला नूर मस्जिद के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. इमरान पुत्र जमील निवासी राशिद अली गेट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 01 कुंतल मौ मांस व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो बरामद हुआ है |